

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

संख्या-ए-32013/3/2017-केहिप्रसं/ 144

दिनांक 07 मई, 2019
8

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 मई, 2019 के कार्यालय आदेश सं. 14034/15/2017-राभा(प्रशि.) के द्वारा हिंदी शिक्षण योजना के निम्नलिखित हिंदी प्राध्यापकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में सहायक निदेशक (भाषा), समूह "क" के पद वेतनमान लेवल-10 रु.56,100-1,77,500 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, रु.15600-39100 + ग्रेड वेतन रु. 5400) पर नियमित पदोन्नति दिए जाने के परिणामस्वरूप उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में सहायक निदेशक(भाषा) के रूप में तैनात किया जाता है :-

क्र. सं.	हिंदी प्राध्यापक का नाम(श्री/श्रीमती/कुमारी)	वर्तमान तैनाती स्थान	पदोन्नति पर तैनाती स्थान	पैनल वर्ष
1.	कृष्णा देवी	हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2015-16
2.	जयकुमार के. वी.	हिंदी शिक्षण योजना, तिरुनवेली	उप निदेशक(मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।	2016-17
3.	अंजुम अग्रवाल	हिंदी शिक्षण योजना, बंगलोर	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बंगलोर ।	2016-17
4.	कृष्ण महेश मिश्र	हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2016-17
5.	प्रीति सिंह	हिंदी शिक्षण योजना, चंडीगढ़	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2016-17
6.	राजी एस.कुरूप	हिंदी शिक्षण योजना, सेलम	उप निदेशक(मध्योत्तर) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।	2016-17
7.	ए.वी.सुजाता डोरा	हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद ।	2016-17
8.	सोमपाल सिंह	हिंदी शिक्षण योजना, नागपुर	उप निदेशक(परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।	2016-17
9.	विपति	हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता ।	2016-17
10.	राधेश्याम बैरवा	हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी	हिंदी शिक्षण योजना, गुवाहाटी ।	2016-17
11.	बरथोलोमी टोप्पो	हिंदी शिक्षण योजना, आवड़ी	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2016-17
12.	जयशंकर यादव	हिंदी शिक्षण योजना, बेलगांव	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, मुंबई ।	2017-18

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (ParyavaranjBhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089


ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

(Handwritten Signature)
7/5/19

13.	जयश्री वेकटरमन	हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नै	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2017-18
14.	एस.वेकटेश्वर्लु	हिंदी शिक्षण योजना, पण-जी-गोवा	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बैंगलोर ।	2017-18
15.	विनोद कुमार शर्मा	हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई	हिंदी शिक्षण योजना, मुंबई ।	2017-18
16.	मोहम्मद कमालुद्दीन	हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, कोलकाता ।	2017-18
17.	समीर त्रिखा	हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2017-18
18.	संतोष कुमार-1	हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।	2017-18

2. यह पदोन्नति सहायक निदेशक(भाषा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी । उपर्युक्त अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. जिन हिंदी प्राध्यापकों को पहले संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (MACPS) के तहत प्रथम वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जा चुका है, उन्हें अब पदोन्नति पर मूलभूत नियमावली के नियम 22(1)(क)(1) के तहत पुनः वेतन निर्धारण का अवसर नहीं दिया जाएगा ।


 (राम निवास)
 प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
2. क्षेत्रीय वेतन लेखा अधिकारी(सीआईएसएफ), गृह मंत्रालय, चेन्नै ।
3. उप सचिव(प्रशि.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को उनके दिनांक 03 मई, 2019 के कार्यालय आदेश सं. 14034/15/2017-राभा(प्रशि.) के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संयुक्त निदेशक(भाषा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
5. उप निदेशक(पूर्व/पश्चिम/मध्योत्तर/दक्षिण/पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता/मुंबई/नई दिल्ली/चेन्नै/गुवाहाटी । कृपया अपने क्षेत्र के हिंदी प्राध्यापकों को कार्यमुक्त कर उन्हें निदेश दें कि वे एक माह के अंदर पदोन्नति पर सहायक निदेशक(भाषा) के पद पर कार्यभार ग्रहण करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं और उनकी पदोन्नति रद्द कर दी जाएगी ।
6. उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
7. उप निदेशक(टंकण-आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
8. लेखा अधिकारी, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
9. प्रभारी सहायक निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, सिकंदराबाद ।
10. सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, बैंगलोर/सिकंदराबाद/चंडीगढ़/नागपुर/आवड़ी/बेलगांव/तिरुनवेली/सेलम/पणजी-गोवा ।
11. संबंधित हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना ।
12. एक-एक प्रति संबंधित अधिकारियों की सेवापंजी/निजी फाइल हेतु ।
13. गार्ड फाइल ।

